RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 18/2025

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–

श्री दीपक पुत्र श्री खीमाराम, निवासी मानपुरा, गिड़ा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री लक्ष्मणराम चारण, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 15.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 13.01.2025 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स दीपक पुस्तक भण्डार एण्ड ई–मित्र, गिड़ा, जिला बालोतरा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री दीपक पुत्र खीमाराम उपस्थित मिले। मौके पर 9 घरेलु गैस सिलेण्डर रखे हुए वक्त जांच पाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	3169	HP	15.8	15.8	
2.	4390	Indane	15.7	15.7	
3.	3196	Indane	15.5	15.5	
4.	3696	bharat gais	15.5	15.5	
5.	3842	Indane	30.4	16.2	14.2
6.	3183	Bharat gais	15.7	15.7	
7.	6179	Indane	15.9	15.9	
8.	3543	bharat gais	15.7	15.7	
9.	3806	Indane	15.7	15.7	

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. मौके पर उक्त दुकान मे घरेलु गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स नाग्नेची इंडेन गैस एजेंसी परेउ, गिड़ा के प्रतिनिधि श्री भैरूसिंह पुत्र चन्दनसिंह को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान दीपक पुस्तक भण्डार है। मेरा गैस टंकी वगैरा भरवाना मेरा कोई व्यवापार नहीं है। उक्त टंकिया जो मेरे दुकान के आगे रखी थी वो अलग अलग उपभोक्ता की थी तथा उक्त घरेलू सिलेण्डर खाली थे। ग्रामिणों द्वारा खाली सिलेण्डर भरवाने के लिए मेरे दुकान पर रखे थे। प्रार्थी ने स्वयं ने ऐसा कोई कथन या प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया कि उक्त सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग लिया जा रहा हो, केवल दुकान के आगे रखना होना बताया गया है। उक्त समस्त सिलेण्डर की डायरी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी सिलेण्डेर वापस दिलाने का आदे ा फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स नाग्नेची इंडेन गैस एजेंसी परेउ, गिड़ा के प्रतिनिधि श्री भैरूसिंह पुत्र चन्दनसिंह को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त सिलेण्डर खाली होने के कारण एवं अन्य उपभोक्ता के होने कारण भरने के लिए यहां रखा गया था एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी

जिला कलक्टर
बालोतरा

दुकान के आगे रखना होना बताया गया। उक्त सिलेण्डर जब्त करने से उक्त गैस कनेक्शन धारियों का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उक्त सिलेण्डर दुकान के आगे रखे हुए पाये गए, लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करे। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर, बालोतरा
बालोतरा

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा